न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 02/ 23 वर्ष 2026
जीसीएम संख्या :–2026/38

बउनवानी:– 1. प्रशासक ग्राम पंचायत मैनपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मैनपुरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र सूरजमल जाति मीना निवासी धनोली तहसील सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 12 दिनांक 10.01.2023 ग्राम पंचायत मैनपुरा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री बुद्वी प्रकाश मीना वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक :– 01.04.2026

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत मैनपुरा द्वारा जारी पटटा संख्या 12 दिनांक 10.01.2023 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने नियम 157 तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने मौके की जॉच किये बिना ही 15 20 फिट का पटटा जारी कर दिया गया जबकि विपक्षी का विवादित भूमि पर कभी भौतिक कब्जा नही रहा है जबकि नियम 157 के तहत केवल 50 वर्ष पुराने भौतिक रूप से कच्चा, पक्का आवासीय मकान का ही पटटा दिया जाता है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पटटा नियम विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि उक्त पटटे के संबंध मे आम जनता द्वारा की गयी शिकायत की जॉच खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने पटटा संख्या 12 में रसीद संख्या 81 का मात्र इन्द्राज किया है जबकि रोकड बही में रसीद संख्या 81 की कोई राशि जमा होना नही पाया गया है इस प्रकार विपक्षी से धोखा देकर व ग्राम पंचायत को गुमराह करके आवासीय पटटा प्राप्त किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि उक्त पटटे की मूल मिसल ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है तथा पटटा संकल्प संख्या 3 दिनांक 6.1.2023 की पालना मे जारी करना बताया गया है किन्तु बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार 23.12.2022 को बाद ग्राम सभा की बैठक दिनांक 20.1.2023 को हुई है अर्थात दिनांक 6.1.2023 को ग्राम सभा की कोई बैठक नही हुई ओर ना ही उक्त पटटा बनाने बाबत बैठक कार्यवाही विवरण पंजिका में प्रस्ताव संख्या 3 पारित हुआ है। ग्राम पंचायत मे उपलब्ध पटटा बुक मे पटटा संख्या 12 की कार्यालय प्रति पर खसरा नम्बर अंकित नही है ओर उक्त पटटा कौनसे ख0न0 में जारी हुआ है के संबंध मे पटटे पर पटवारी रिपोर्ट नही है। किन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट मे उक्त पटटा ख0न0 1361 मे जारी होना बताया गया है। उक्त पटटे की जॉच खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर द्वारा की जाने पर उक्त पटटा जारी करने की प्रकिया सम्पादित नही होने, यथा मौका निरीक्षण, आपत्ति नोटिस, कौरम का प्रस्ताव, पटटे की भूमि पर 50 वर्ष पुराना मकान इत्यादि नही होने उक्त पटटा विधिविरूद्व होने के निरस्त करवाने बाबत जरिये पत्रांक प.स./स.मा./पंचा./2025–26 दिनांक 7.1.2026 से प्रशासक/ग्राम विकास अधिकारी को मैनपुरा को लिखा गया है इसलिए यह पटटा संख्या 12 को खारिज करवाने बाबत यह निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया है।

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.01.2023 को नियमानुसार 1300/–रू पटटा शुल्क व विकास शुल्क जरिये रसीद संख्या 81 से जमा की जाकर पटटा जीर किया गया है। उक्त रसीद संख्या 81 द्वारा जमा राशि का अंकन रोकड बही (केश बुक)मे हो रहा है। विवादित पटटा जारी करने से पूर्व पंचायत द्वारा सभी प्रकिया अपनायी गयी है यदि मूल पत्रावली पंचायत मे उपलब्ध नही होने के आधार पर अप्रार्थी पटटा खारिज किया जाना उचित नही है। यह तर्क भी दिया कि मुझ अप्रार्थी के विरूद्व झूंठी शिकायत की गयी है जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ताओ द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर को दिये गये प्रार्थना प.त्र से हो जाती है। इसके अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में उक्त पटटा ख0न0 1361 मे जारी होना बताया गया है जबकि उक्त पटटा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि ख0न0 1365 मे जारी किया गया है। इस प्रकार राजनैतिक दबाव के चलते प्रार्थी के पटटे की खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी विधिविरूद्व जॉच. के आधार पर मुझ अप्रार्थी का पटटा खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है। यह तर्क भी दिया उक्त पटटा संख्या 12 का दिनांक 30.1.2023 को रजिस्टर्ड हो चुका है तथा रजिस्टर्ड पटटे का खारिज करने का अधिकार श्रीमान को नही है। उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा विधुत कनेक्शन हेतु 2002 मे डिमाण्ड नोटिस जमा करवाया गया है जिससे उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होने की पुष्टि हो जाती है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि आदेश जैर अपील पटटा संख्या 12 दिनांक 10.01.2023 को जारी करते समय किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पंचायत के समक्ष पेश हुआ हो कोई मौका नक्शा,मौका निरीक्षण, आपत्ति नोटिस, कौरम प्रस्ताव, इत्यादि कार्यवाही हुई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य वकील अप्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है। केवल पटटा शुल्क जमा होने से उक्त पटटा विधिसम्मत नही माना जा सकता है। पटटा बुक मे उपलब्ध पटटा संख्या 12 की कार्यालय प्रति पर ख0न0 अंकित नही है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटटा संख्या 12 की छायाप्रति पर ख0न0 1365 अंकित किया गया है किन्तु पटवारी के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी की जॉच रिपोर्ट एंव अप्रार्थी के पास उपलब्ध पटटे पर ख0न0 भी विरोधाभाषी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा खण्ड विकास अधिकारी की जॉच रिपोर्ट एवं पंचायत रिकार्ड यथा बैठक कार्यवाही विवरण पंजिका का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि उक्त पटटा विधिवत जारी नही हुआ है इसलिए विधिविरूद्व जारी पटटा संख्या 12 को खारिज किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी पटटा संख्या 12 दिनांक 10.1.2023 खारिज किया जाता है। साथ ही उक्त पटटा जारी करने वाले संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु निर्णय प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

.....(2).....

Scanned with OKEN Scanner